**संख्या-4/2020/436/एक-5-2020-80/2017**

प्रेषक,

राम सुमेर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ0प्र0
लखनऊ।

**राजस्व अनुभाग-5** **लखनऊ दिनांक 15 जून, 2020**

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनावासीय/आवासीय अनुरक्षण तथा लघु निर्माण मद में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-05/12-भवन-10/2020-21 दिनॉक- 11.05.2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत निम्नलिखित तालिका के कालम-3 में बजट प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कालम-2 में अंकित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत कालम-4 में उल्लिखित धनराशि जिनका कुल योग रू0 462.50 लाख (रूपये चार करोड़ बासठ लाख पचास हजार मात्र) है, की धनराशि अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखते हुए नियमानुसार व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं -

**धनराशि (रू0 लाख में)**

| **क्रमांक** | **लेखा शीर्ष/मद** | वित्तीय वर्ष 2019-20 में आय-व्ययक प्राविधान | अवमुक्त धनराशि |
|---|---|---|---|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 2059-लोक निर्माण कार्य-80-सामान्य-053-रखरखाव तथा मरम्मत-03-मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों के अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य-29-अनुरक्षण | **1000.00** | **250.00** |
| 2 | 2216-आवास-01-सरकारी रिहायसी भवन-700-अन्य आवास-03-मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य-29-अनुरक्षण | **700.00** | **175.00** |
| 3 | 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-01-कार्यालय भवन-800-अन्य व्यय-22-मण्डल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों में लघु निर्माण सम्बन्धी कार्य-25-लघु निर्माण कार्य | **100.00** | **25.00** |
| 4 | 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-01-सरकारी रिहायसी भवन-106-साधारण पूल आवास-06-मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों में लघु निर्माण कार्य-25-लघु निर्माण कार्य | **50.00** | **12.50** |
| | **योग** | **1850.00** | **462.50** |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप सं0 1/2020/बी0-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृति धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, इलाहाबाद को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि व्यय किये जाने में वित्तीय नियमों एवं बजट मैनुअल के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। स्वीकृत धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे इसी वित्तीय वर्ष में शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का नियमित मिलान महालेखाकार इलाहाबाद से कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(5) उपर्युक्त तालिका के कालम-4 में स्वीकृत/निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/विनियमों के अन्तर्गत निविदा आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए की जायेगी तथा व्यय की धनराशि के मदवार विवरण को सक्षम स्तर से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि को व्यय किये जाने का विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-814/दस-2020, दिनांक 11 जून, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम सुमेर)
संयुक्त सचिव।

**संख्या-4/2020/436(1)/एक-5-2020-80/2017 तद् दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
4- सम्बन्धित जनपद के मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- अपर आयुक्त वित्त, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
8- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश)
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in